3/1/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तथा प्रार्थीया स्वयं उपस्थित। पत्रावली में वकील प्रार्थी तथा प्रार्थीया स्वयं पत्रावली में आगे कार्यवाही नही चाहते है। वकील प्रार्थी तथा प्रार्थीयां स्वयं को सुना गया। पत्रावली में कथन किये गये कि प्रार्थीय तथा अप्रार्थीगणों के मध्य समझौता हो गया है। अतः वा. पत्र पर कोई कार्यवाही नही चाहते है। तथा वाद पत्र विड्रो करते है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः प्रार्थी के मौखिक कथनो तथा लिखित टिप्पणी को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच में समझौता होने के कारण पत्रावली पर मैं कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं वाद विड्रो करता हूँ।